न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 41 / 2025

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. वगताराम पुत्र हंजारीराम
2. शंकरराम पुत्र देराजराम

जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी खारा महेचान
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. नांगाराम पुत्र लालाराम जाति घांची निवासी सिणधरी चौसीरा हाल खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. जेठमालसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
3. छोगाराम पुत्र खेराजराम
4. देरामाराम पुत्र रूपाराम
5. धुड़ाराम पुत्र सताराम
6. धनाराम पुत्र खेराजराम
7. भूराराम पुत्र खेराजराम
8. मानीदेवी पत्नि खेराजराम
9. हेमाराम पुत्र रूपाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
10. उदाराम पुत्र पूनमाराम
11. मोहनराम पुत्र पूनमाराम
12. रूकमो पत्नि पूनमाराम
13. रामाराम पुत्र पूनमाराम
14. सेजाराम पुत्र पूनमाराम
15. सिमरथाराम पुत्र पूनमाराम जातियान ब्राहम्ण निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
16. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 22.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–चाडो की ढाणी में ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 451/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–चाडो की ढाणी में ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 451/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–चाडो की ढाणी में ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 451/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–चाडो की ढाणी में ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 451/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो व विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया तहसील सिणधरी पटवार हल्का–चाडो की ढाणी में ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 451/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:46 IST
Reason: SelfAttested

है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार हल्का–चाडो की ढाणी में ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 451/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:46 IST
Reason: SelfAttested